भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

सैन्य कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4199

20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

सैनिकों को प्रभावित करने वाले तनाव कारक

4199. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सैनिकों और उनके परिवारों को प्रभावित करने वाले तनाव कारकों के संबंध में अगस्त, 2023 में किए गए अध्ययन की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सैन्य टुकड़ियों और उनके परिवारों को प्रभावित करने वाले तनाव कारकों को समझने और कम करने में हुई प्रगति के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अधिकारियों और सैन्य टुकड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): जी, हां । इस अध्ययन के तहत, अनुशासन और सतर्कता निदेशालय के सदस्यों, चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) के विशेषज्ञों, रक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर) के वैज्ञानिकों और मनोविज्ञान परामर्शदाताओं सहित स्वास्थ्य प्रदाताओं के एक

दल ने 12 सैन्य स्टेशनों का दौरा किया और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए अगस्त से दिसम्बर, 2023 तक चलाए गए स्वास्थ्य सुलभ अभियान के दौरान अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अन्य रैंकों और उनके परिवारों से परस्पर वार्ता की और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव दिया ।

इसके अतिरिक्त, इस दल ने इस अभियान के दौरान प्रश्नावलियों, ओपन-हाउस, समूह केन्द्रित विचार-विमर्शों और आपसी वार्ताओं के माध्यम से 2500 अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य रैंकों के स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करने के लिए आंकड़ें एकत्र किए ।

(ग): जी, हां । जोखिम प्रवृत्त कार्मिकों का पता लगाने के लिए समयबद्ध और समुचित उपाय करने के उद्देश्य से रक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान संस्थान (डीआईपीआर) द्वारा डिज़ाइन किए गए टूल/टेस्ट और दिशा किरन द्वारा किए गए साइकोमैट्रिक मूल्यांकन का उपयोग किया गया था ।

(घ) और (ङ): सेना ने अधिकारियों और सैन्य दलों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई उपाय किए हैं:-

(i) यूनिट की दिनचर्या के एक भाग के रूप में योग एवं ध्यान का आयोजन कराना।

(ii) बेहतर जनशक्ति प्रबंधन और यूनिटों एवं स्थापनाओं द्वारा शिकायतों पर शीघ्र ध्यान देना।

(iii) नेतृत्वकर्ताओं तक पहुंच बढ़ाना और सैनिकों के साथ कनिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं द्वारा बार-बार विचार-विमर्श।

(iv) यूनिट प्रशासन और अधिकारी-कार्मिक संबंधों को उच्च वरीयता दी जा रही है।

(v) बडी सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो से चार/पाँच अन्य रैकों तक विस्तार किया गया है।

(vi) स्पोर्ट्स, खेलकूद और मनोरंजन जैसे सामूहिक क्रियाकलापों को ऑपरेशनल तैनातियों में यूनिट/स्थापना स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vii) घरेलू समस्याओं पर ध्यान देने के लिए उदारीकृत अवकाश नीति और उग्रवाद रोधी/आतंकवादरोधी क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को अतिरिक्त रेलवे वारंट का प्राधिकार प्रदान करना।

(viii) तनाव मुक्त करने के लिए देशी भाषाओं में उपलब्ध पाठ्य-सामग्री का व्यापक प्रचार करना।

(ix) धार्मिक उपदेशकों द्वारा अतिसंवेदनशील कार्मिकों को परामर्श प्रदान करना और जहाँ भी आवश्यक हो, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं/मनोचिकित्सकों द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना।

(x) सेना चिकित्सा कोर के जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों का पूर्वी और उत्तरी कमानों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के रूप में प्रशिक्षण और तैनाती।

(xi) डीआईपीआर द्वारा 30 अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(xii) इसके अलावा, नर्सिंग तकनीशियन जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा चयनित यूनिट कार्मिकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(xiii) सैन्य अस्पतालों में मानसिक अस्वस्थता वाले सेवारत सैनिकों को चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन अस्पतालों में 58 मनोचिकित्सकों की तैनाती की गई है।

(xiv) सिविलियन मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की आउटसोर्सिंग करके 100 सेना- स्टेशनों में परामर्शदात्री सेवाओं का सृजन किया जा रहा है। शेष सुविधाएं वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक शुरू हो जाएंगी।

इसके अलावा, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

(क) भर्ती स्तर पर साइकोमैट्रिक मूल्यांकन को शामिल करना।

(ख) प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 से सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर भर्ती किए गए कार्मिकों के साइकोमैट्रिक मूल्यांकन को शामिल करना ।

(ग) परामर्शदात्री सुविधाएं और मनोचिकित्सा केन्द्र ।

(घ) क्रमशः रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान एवं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में मूलभूत मनोवैज्ञानिक परामर्श में अधिकारियों एवं जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(ङ) सेना अस्पतालों में मनोचिकित्सा केन्द्रों पर मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन। इसके अलावा, सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे में 1 दिसंबर, 2023 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से टेली-मानस नोड स्थापित किया गया है।

(च) सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज द्वारा सी-डैक एवं एनआईएमएचएएनएस के सहयोग से भारतीय सेना में मानसिक स्वास्थ्य मामलों का समाधान करने के लिए मानस नामक एप्लीकेशन को विकसित किया गया है।

(छ) ऑनलाइन परामर्श के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन "किरन" (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) का उपयोग करके कार्मिकों में संचेतना पैदा की जाती है।

(ज) सामाजिक लांछन से दूर रहने के लिए गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से स्टेशनों विशेषकर अस्पताल की लोकेशन से बाहर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं का नियोजन किया जाता है। निर्धारित स्थलों पर 100 सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं जिसके लिए निधि पहले ही आवंटित कर दी गई है।

*****